नीलामी की सूचना एव शर्तें

कार्यालय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय सोनभद्र ।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय सोनभद्र के अन्तर्गत प्रांगड़ जजी खण्ड एवं मुन्सफी खण्ड मे स्थित दुकानों का, जिनका विवरण नीचे दिया जा रहा है, की पुनः नीलामी वर्ष 2016–17 (माह अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017) के लिये दिनांक 25.04.2016 समय अपरान्ह 04.00 बजे न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 के सामने स्थित बरामदे में करायी जायेगी। इच्छुक व्यक्तियों को नीलामी की तिथि को पूर्वान्ह 10.00 बजे से 12.00 बजे तक निर्धारित नगद जमानत की धनराशि जमा करने के उपरान्त ही बोली बोलने का अधिकार होगा, तथा उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्तियों की बोली स्वीकार होने के तुरन्त बाद बोली की सम्पूर्ण धनराशि का 1/4 भाग जैसा की बोली के समय निलामी समिति द्वारा आदेशित किया जायेग नजारत अनुभाब में जमा करना होगा, अन्यथा जमानत की धनराशि जब्त करके द्वितीय उच्चतम बोली बोलने वाले को यह अवसर दे दिया जाएगा। उच्चतम बोली शेष 75% धनराशि चार किश्तो में जमा करनी होगी। बोली स्वीकार हो जाने की दशा में 100.00 रुपया के स्टाम्प पर एग्रीमेन्ट निष्पादित कराना होगा। जिसमें निम्नलिखित शर्ते होंगी :–

1. यह कि द्वितीय पक्ष नीलामी एवं अपने सामानों का सुरक्षा का स्वयं जिम्मेदार होगा एवं सफाई का जिम्मेदार होगा।
2. यह कि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को ठेके की उक्त धनराशि माह अप्रैल 2016 से प्रारम्भ होगी और दिनांक 31.03.2017 तक रहेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्ष को जिस काम को ठेका दिया है वह स्वयं करेगा किसी अन्य को दुकान ठेके पर नहीं देगा।
4. यह कि उपरोक्त शर्तों को यदि द्वितीय पक्ष पालन नही करता है तो उसके द्वारा जमानत धनराशि प्रथम पक्ष द्वारा जब्त कर ली जाएगी तथा ठेका निरस्त होने पर हर्जाना यथास्थिति अवशेष धनराशि की सीमा तक द्वितीय पक्ष से वसूल कर लिया जाएगा।
5. यह कि उपरोक्त शर्तो के विषय मे कोई भी विवाद का क्षेत्राधिकार जनपद न्यायाधीश, सोनभद्र को ही होगा।
6. यह कि ठेके की शर्तों का पालन न करने पर एवं हयी हानि की वसूली अन्य प्रकार के अलावा पब्लिक मनी रिकवरी एक्ट के प्राविधान के अन्तर्गत प्रथम पक्ष के द्वारा वसूली प्रमाण पत्र जारी करके लैण्ड रेवेन्यू की तरह धन वसूल करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

दुकानों आदि का विवरण जिनकी नीलामी की जानी है :–

क्रमांक	दुकानों का नाम	स्थान का नाम	जमानत धनराशि	न्यूनतम आरक्षित बोली
1	पान की दुकान	जजी खण्ड (पुरानी ट्रेजरी बिल्डिंग के बायें साइड)	5000-00	81400.00
2	फोटो स्टेट	जजी खण्ड (पुरानी ट्रेजरी बिल्डिंग के बायें साइड)	5000-00	207350.00
3	फल की दुकान	जजी खण्ड (पुरानी ट्रेजरी बिल्डिंग के बायें साइड)	2000-00	8250.00
4	पान की दुकान	मुन्सफी खण्ड	5000-00	123200.00
5	फोटो स्टेट	मुन्सफी खण्ड	5000-00	110000.00

नोट:–

1. जिन ठेकेदारों के नाम काली सूची में है वे बोली बोलने के लिए अधिकृत नहीं होगें ।
2. कोई भी व्यक्ति किसी अन्य के लिए बोली नहीं बोलेगा।
3. नीलामी की बोली शर्त मन्जूर करने पर ही कोई ठेकेदार बोली बोलने का अधिकारी होगा।
4. बिना कोई कारण बताए उच्चतम बोलने वाले व्यक्ति की बोली स्वीकार करने का या अस्वीकार करने का अधिकार जनपद न्यायाधीश सोनभद्र को होगा।
5. दिवालिया घोषित व्यक्ति बोली बोलने का अधिकारी नहीं होगा।
6. विधि अनुसार संविदा करने में सक्षम व्यक्ति ही बोली बोलने का अधिकारी होगा।

(संजय कुमार प्रथम)
मुख्य न्यायिक दन्डाधिकारी /सदस्य
दूकानों की नीलामी समिति
जनपद न्यायालय सोनभद्र।

(विवेक)
अपर जनपद न्यायाधीश/एफ0टी0सी0/अध्यक्ष
दूकानों की नीलामी समिति
जनपद न्यायालय सोनभद्र।

प्रतिलिपि:–

1. माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की वेबसाइट www.allahabadhighcourt.in पर अपलोड करने हेतु।
2. केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय सोनभद्र।
3. नोटिस बोर्ड, जनपद न्यायालय सोनभद्र।
4. नोटिस बोर्ड मुन्सफी खण्ड, जनपद न्यायालय सोनभद्र।
5. नोटिस बोर्ड जिलाधिकारी व तहसीलदार राबर्टसगंज सोनभद्र।
6. नोटिस बोर्ड रोडवेज बस स्टैण्ड, राबर्टसगंज सोनभद्र ।
7. स्थानीय समाचार पत्र।
8. केन्द्रीय कम्प्यूटर अनुभाग को official website पर अपलोड करने हेतु।
9. सूचना अधिकारी सोनभद्र को स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
10. शासन की ऑफिशियल वेबसाइट www.sonbhadra.nic.in पर अपलोड करने के लिये एन0आई0सी0 सोनभद्र को प्रेषित।